



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42982 वर्ष 2025

बबलू और अन्य

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता:

सुरेंद्र सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री रामेंद्र पाल सिंह की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह वर्तमान जमानत अर्जी आवेदकों बबलू और राहुल की ओर से दायर की गई है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि उन्हें पुलिस थाना इंदरगढ़, जिला कन्नौज में दर्ज केस क्राइम संख्या 129/2025 (उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत) में, विचारण के लंबित रहने के दौरान, जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

उनके आपराधिक इतिहास के तीन मामलों का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह के सदस्य, नेता या आयोजक नहीं हैं और उन्होंने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। उपर्युक्त मामले के अलावा आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदकों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 26.9.2025 से जेल में बंद हैं, वचन देते हैं कि यदि उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है तो वे उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदकों के खिलाफ उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामलों के अलावा कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख में दर्ज साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक **बबलू और राहुल** को उपर्युक्त केस क्राइम नंबर में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देंगे।

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेंगे कि वे साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेंगे, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष
श्रीवास्तव)

19 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।